आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
24.1.25	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।** R.M.A. Case No.- 02/2023-24 परेश गोराई **बनाम** आदोरी गोराई एवं अन्य **आदेश** यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-41/2018-19 में दिनांक–17.01.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है। उक्त R.E. Case No.-41/2018-19 में दिनांक–17.01.2023 को पारित आदेश के द्वारा राजू गोराई एवं अन्य के द्वारा दिनांक–15.07.2022 को दिये गये आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, जामताड़ा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। लेकिन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–60 एवं 61 का उल्लेख करते हुए उक्त प्रतिवेदन के आधार पर वाद की अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गई एवं अभिलेख संचिकास्त किया गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपीलकर्त्ता मौजा–साहना के जमाबन्दी रैयत है। मौजा–साहना के प्लॉट संख्या–743/C, रकवा–04डी0 किस्म– धानी जो कि अहस्तांतरणीय जमाबन्दी रैयत है। उत्तरवादी राजू गोराई के पिता–बिजय गोराई ने मौजा–साहना के उक्त प्लॉट संख्या–743, रकवा–31डी0 नारायणी कामारीन से अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय के Rev. Misc. Case No.-64 of 1978-79 में दिनांक–11.04.1979 को पारित आदेश के द्वारा उक्त बदलैन के पश्चात् बिजय गोराई, प्लॉट संख्या–743, रकवा–31डी0 का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–23 के तहत बदलैन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ व मालिक हो गये। लेकिन उक्त जमीन का पुनः संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–23 के तहत किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति एवं किसी भी रूप में बदलैन नहीं किया जा सकता। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 का उल्लंघन करते हुए उत्तरवादी प्रथम पक्ष (आदोरी गोराई, जितेन गोराई एवं सामंत गोराई) द्वारा गैरकानूनी रूप से खरीदा गया एवं बिजय गोराई द्वारा गैरकानूनी रूप से बिक्री किया गया। उत्तरवादी प्रथम पक्ष द्वारा गैरकानूनी रूप से विवादित दाग पर घर भी बनाया गया जिस पर उसका अवैध दखल है। यद्यपि उत्तरवादी प्रथम पक्ष संख्या–01 आदोरी गोराई, मौजा–साहना के खाता संख्या–20 के खतियानी रैयत गोष्ट गोराई के पैतृक सम्पत्ति के है लेकिन उनके द्वारा बिजय गोराई के परिवार से संबंधित होने का आपत्ति किया गया। लेकिन बिजय गोराई एवं गोष्ट गोराई के बीच में पैतृक सम्पत्ति का कोई संबंध नहीं है क्योंकि बिजय गोराई, मौजा–साहना के खाता संख्या–29 के खतियानी रैयत जोगेश्वर गोराई के पैतृक सम्पत्ति के है। अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय, जामताड़ा में परेश गोराई के द्वारा R.E. Case No.-41/2018-19 के रूप में मौजा–साहना के खाता संख्या–743 के रकवा–30डी0 से उच्छेद करने हेतु दिये गये आवेदन के अनुसार दिनांक–15.07.2022 को मौजा–साहना के खाता संख्या–743 के अंश रकवा–04डी0 से उच्छेद किया गया लेकिन उक्त आदेश को पुनः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा दिनांक–17.01.2023 को आदेश पारित करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक–27.09.2022 को आदेश की प्रति लेने हेतु आवेदन दिया गया लेकिन आदेश दिनांक–04.05.2023 को प्राप्त हुआ। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा तत्पश्चात् अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-41/2018-19 में दिनांक–17.01.2023 को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अपील आवेदन में अनुरोध किया गया। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि उत्तरवादी संख्या–04 राजू गोराई, मौजा–साहना के प्लॉट संख्या–743, रकवा–04डी0 किस्म– धानी जमाबन्दी रैयत के वारिसान हैं एवं प्रतिवादी संख्या–04 राजू गोराई के साथ उनके भाई पतित पावन गोराई एवं उनके भाई की पत्नी अल्पना गोराई द्वारा उत्तरवादी संख्या–01 आदोरी गोराई, 02 जितन गोराई, 03 सामंत गोराई को आपने परिवार से संबंधित बताया गया है। पतित पावन गोराई एवं अन्य द्वारा दिनांक–15.07.2022 को एक शपथ–पत्र दाखिल किया गया। दिनांक–15.07.2022 को राजू गोराई द्वारा एक	

आवेदन दाखिल किया गया जिसके आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा दिनांक-29.07.2022 को अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक-1296/रा0, दिनांक-26.12.2022 द्वारा प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा को भेजा गया। उक्त प्रतिवेदन में अंकित है कि मूल रैयत से बदलैनकर्त्ता से समझौता हो चुका है एवं खतियानी रैयत के जीवित वारिसान द्वारा कोई उच्छेदी वाद दायर नहीं किया गया है और न कोई आपत्ति है।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के R.E. Case No.-41/2018-19 में दिनांक-15.07.2022 को पारित आदेश में अंकित है कि "उभयपक्षों को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा-साहना के दाग संख्या-743, रकवा-31डी0 जमीन विपक्षी द्वितीय पक्ष के पिता बिजय गोराई ने नारायणी कामारीन से बदलैन के माध्यम से प्राप्त किया। उक्त 31डी0 जमीन में से 04डी0 बदलैन जमीन विपक्षी द्वितीय पक्ष ने विपक्षी प्रथम पक्ष को अवैध तरीका से बेच दिया एवं विपक्षी प्रथम पक्ष द्वारा आवास सहित उक्त जमीन पर अवैध दखल कब्जा कर लिया गया है। विपक्षियों को विषयगत जमीन पर दखल का दावा न्यायालय में किसी भी नियम से नियमानुसार प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि आवेदक परेश गोराई एवं विपक्षी आदोरी गोराई, गोष्टो गोराई के वंशज में आता है। जिनका जमीन मौजा-साहना में जमाबन्दी नं0-20 में दर्ज है। दूसरा तरफ विपक्षी द्वितीय पक्ष में पिता बिजय गोराई का जमीन मौजा-साहना में जमाबन्दी नं0-29 में उनके पिता जोगेश्वर गोराई के नाम से दर्ज है। इस भूमि पर दखल संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है। उपर्युक्त परिपेक्ष्य में विपक्षी द्वितीय पक्ष को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा-42 में विहित प्रावधानों के आलोक में विषयगत आवेदित जमीन 743/C, रकवा-04डी0 से उच्छेद किया जाता है। संबंधित अंचल अधिकारी को आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजें। इसके साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।" पुनः दिनांक-17.01.2023 को पारित आदेश के द्वारा अंचल अधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक-1296/रा0, दिनांक-26.12.2022 के प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए अंकित है कि "अल्पना गोराई, पति-उत्पल गोराई, मौजा-साहना, थाना-जिला-जामताड़ा के मामले में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से स्थलीय जाँच करायी गयी। जिसमें प्रतिवेदित है कि आवेदित दाग संख्या-743, मौजा-साहना, थाना नं0-07 के जमाबन्दी संख्या-22 में दर्ज है। जिसका खतियानी रैयत गोपाल कमार के नाम से सर्वे पर्चा में इन्द्राज है। उल्लेखनीय है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा रे0मि0 केस नं0-64/1978-79 को रैयत के वारिसान नारायणी कमारीन से उसी मौजा के बिजय गोराई से बदलैन कराये हैं। बदलैन के पश्चात् बिजय गोराई के जीवित वारिसान पतित पावन गोराई एवं अन्य के द्वारा द्वितीय पक्ष आदोरी गोराई को नोटरी पब्लिक, जामताड़ा के फैमिली सेटलमेंट के तहत लिख कर दिये है। जिसका दाग संख्या-743/C, रकवा-04डी0 है। तद्नुसार द्वितीय पक्ष ने उक्त 04डी0 जमीन पर दो मंजिला मकान बनाकर रहते हैं। इसी भू-खण्ड के संबंध में प्रथम पक्ष परेश गोराई के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा उच्छेदी वाद संख्या-41/2018-19 को द्वितीय पक्ष के विरूद्ध उच्छेदी करने हेतु न्यायालय में मामला दायर किये थे। जिसमें आदेश पारित दिनांक-05.07.2022 को द्वितीय पक्ष को उच्छेद कर दिया गया है। पुनः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के ज्ञापांक-1081/सा0, दिनांक-20.10.2022 द्वारा संसूचित है कि मूल रैयत से समझौता हो गया है। परन्तु बदलैनकर्त्ता से समझौता नामा शपथ-पत्र प्राप्त है। खतियानी रैयत के जीवित वारिसान द्वारा कोई उच्छेदी वाद दायर नहीं किये है और न कोई आपत्ति है। उभय पक्ष सहोदर भाई-बहन है। इस संबंध में पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपील हेतु स्वतंत्र है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम-1949 की धारा-60 इस प्रकार हैः-.....संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम-1949 की धारा-61 इस प्रकार हैः-.....उपरोक्त परिपेक्ष्य में इस वाद पर कोई अग्रेतर कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अभिलेख संचिकास्त की जाती है।"

इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा दिनांक-17.01.2023 को पारित आदेश में संबंधित अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया क्योंकि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम-1949 की धारा-60 एवं 61 के तहत उक्त वाद में

दिनांक–15.07.2022 को किये गये अंतिम आदेश को Review करने के लिए वे सक्षम प्राधिकार नहीं है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की धारा–60 के तहत अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा बिना समक्ष प्राधिकार की अनुमति के R.E. Case No.-41/2018-19 में दिनांक–15.07.2022 को पारित आदेश के पश्चात् दिनांक–29.07.2022 को पुनः अंचल अधिकारी, जामताड़ा से जाँच प्रतिवेदन की माँग किया जाना Review की श्रेणी में आता है। साथ ही अंचल अधिकारी, जामताड़ा के उक्त जाँच प्रतिवेदन के संज्ञान में आने पर अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा R.E. Case No.-41/2018-19 में दिनांक–15.07.2022 को पारित आदेश भी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है; जिस कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के R.E. Case No.-41/2018-19 में दिनांक–15.07.2022 को पारित आदेश को Review करने की आवश्यकता है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय के वाद संख्या R.E. Case No.-41/2018-19 में दिनांक–15.07.2022 एवं दिनांक–17.01.2023 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम–1949 की सुसंगत धारा के तहत उक्त वाद को पुनर्विचार हेतु वापस (Remand) किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

30/1/25

30.1.25

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2025.02.04 19:25:01 +05:30
Location: 192.168.43.106